वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्या : 986 /XVII(1)-01/2007–225(स.क.)/2002

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 08 सितम्बर 2007.

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1956 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक–839/XVII(1)-01/2007–225(स.क.)/2002, दिनांक 05 सितम्बर 2007 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1956 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित मदवार रूपये 40,00,000/– (रूपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्रमांक	मानक	आवंटित धनराशि (रूपये में)
1	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	35,00,000/–
2	42–अन्य व्यय	5,00,000/–
	योग	40,00,000/–

1. उक्त धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
2. उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि को पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समस्त नियमों के तहत व्यय किया जाएगा एवं समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

BHUWAN PANDEY 27 September 2007

5. बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–30" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–08–नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम, 1956 का क्रियान्वयन–00" की मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" एवं "42–अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।
8. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–405(P)/XXVII(3)/2007, दिनांक 26 सितम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 986 (1)/XVII(1)-01/2007–225(स.क.)/2002, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।

BHUWAN PANDEY

27 September 2007